सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
मेरठ।

विषयः जनपद न्यायालय परिसर मेरठ में स्थित पुराने हवालात भवन के ध्वस्तीकरण हेतु इन्फ्रा उपसमिति, जनपद न्यायालय मेरठ की आख्या दिनांकित 20.07.2022 के सम्बन्ध में।

महोदय,

आज दिनांक 20.07.2022 अपराहन 04:00 बजे विश्राम कक्ष अपर जिला जज, कक्ष सं0–01, मेरठ में नीलाम समिति की बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें अध्यक्ष के रूप में श्री फूलचन्द पटेल, अपर जिला जज, कोर्ट सं0–01, मेरठ एवं सदस्यगण के रूप में श्री सुरेश चन्द–द्वितीय, विशेष न्यायाधीश, (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), मेरठ एवं श्री हरीराम, सिविल जज (सी0डि0), मेरठ सम्मिलित हुये।

उक्त क्रम में नीलाम समिति, जनपद न्यायालय मेरठ द्वारा प्रश्नगत भवन के वर्तमान मूल्य के सापेक्ष लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन पत्र, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रेषित अनुमति पत्र जिसपर पत्रांक सं0 687/इन्फ्रासैल इलाहाबाद दिनांकित 27.06.2022 अंकित है तथा उक्त पत्र पर माननीय महोदय द्वारा पारित आदेश पर विचार विमर्श किया गया।

उपरोक्त समस्त प्रपत्रों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किये गये निर्देशों एवं इसी क्रम में माननीय महोदय द्वारा पारित आदेश को दृष्टिगत रखते हुये नीलाम समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह राय व्यक्त की गयी कि नीलामी की सूचना स्थानीय समाचार पत्र में करायी जाये और माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाईट एवं जनपद न्यायालय, मेरठ की बेवसाईट पर अपलोड किया जाये और व्यापक प्रचार प्रसार हेतु सरकारी कार्यालयों यथा जिलाधिकारी, मेरठ, अपर मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, मेरठ तथा मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ, अधिशासी अभियन्ता गंग नहर, मेरठ, अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, मेरठ, अपर मुख्य जिला अधिकारी, जिला पंचायत, मेरठ, सूचना पट जिला जज, मेरठ, नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, मेरठ एवं महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर सूचना को चस्पा किया जाये।

समिति के राय में उपरोक्त कार्यवाही को दृष्टिगत रखते हुये नीलामी की तिथि दिनांक 20.08.2022 को नियत किया जा सकता है।

तदानुसार माननीय महोदय द्वारा यदि उचित समझा जाये तो नीलामी की कार्यवाही पूर्ण किये जाने हेतु उपरोक्त आख्या अनुमोदित की जा सकती है।

सादर

(हरीराम)
सदस्य
सिविल जज (सी0डि0),
मेरठ।

(सुरेश चन्द–द्वितीय)
सदस्य
विशेष न्यायाधीश,
(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), मेरठ

(फूलचन्द पटेल)
अध्यक्ष,
अपर जिला जज,
कोर्ट सं0–01

Approved.
28/7/22

नीलामी की शर्तें

दिनांकः 20.08.2022 को जनपद न्यायालय मेरठ में स्थित पुराने हवालात भवन को तोड़ने व तोड़ने के उपरान्त उसका समस्त मलवा/स्क्रेप हटवाकर ले जाने हेतु नियम खुली बोली में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों द्वारा निम्न शर्तों का पूर्णतया पालन करना होगा।

1. उक्त बोली खुली बोली पद्धति के अनुसार होगी अर्थात जिस व्यक्ति की अधिकतम बोली होगी उसके पक्ष में बोली छोड़ी जायेगी।
2. बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा धरोहर धनराशि अंकन 10,000–00 रू0 धरोहर के रूप में कैशियर, सिविल कोर्ट, मेरठ के पास नगद रूप में बोली से पूर्व समय दिन 11:00 बजे तक जमा करने होगें अथवा उक्त धनराशि का ड्राफ्ट भी जो जनपद न्यायाधीश, मेरठ के नाम में देय हो, को जमा किया जा सकता है।
3. बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों को यह अधिकार होगा कि सम्बन्धित भवन का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस में उनके द्वारा किया जा सकता है।
4. बोली जहां है, जैसा है के आधार पर होगी अर्थात् बोली में पुराने हवालात भवन का मलवा गेट इत्यादि ही सम्मिलित होगें।
5. नीलामी जिस व्यक्ति के पक्ष में छोड़ी जायेगी उसे धरोहर राशि को छोड़कर बोली की 25प्रतिशत धनराशि का भुगतान बोली के पश्चात् यानि दिनांक 20.08.2022 को ही जमा कराना होगा तथा बकाया समस्त धनराशि स्वीकृत बोली के अनुमोदन के उपरान्त सूचना प्राप्त होने की तिथि से अन्दर 03 दिवस जमा करानी होगी।
6. यदि सफल बोलीकर्ता उपरोक्त विहित अवधि के भीतर बकाया धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो उसके पक्ष में किया गया नीलाम निरस्त कर दिया जायेगा और उसके द्वारा निक्षेपित अग्रिम धनराशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
7. बोली में भाग लेने वाले बोलीदाता पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड/विश्वसनीय विधिक पहचान पत्र की छायाप्रति भी दाखिल करनी होगी।
8. प्रथम तीन बोलीदाताओं की धरोहर धनराशि को छोड़कर अन्य की धरोहर धनराशि उसी दिन बोली समाप्त करने के पश्चात् वापस कर दी जायेगी।
9. उक्त भवन का मलवा स्वीकृत बोली के अनुमोदन की सूचना प्राप्त होने की तिथि से 07 दिन में तोड़कर ले जाना होगा और स्थान का साफ कराना होगा।
10. भवन की तोड़ाई केवल जमीन तक अर्थात् भवन में नींव को छोड़कर करनी होगी।
11. भवन को तोड़ने के दौरान बोली छुड़ाने वाले व्यक्ति को यह भी ध्यान रखना होगा कि इस दौरान किसी अन्य सम्पत्ति को नुकसान न पहुंचे। यदि किसी अन्य सम्पत्ति को कोई क्षति पहुंचती है तो उसकी भरपाई बोली छुड़ाने वाले व्यक्ति को करनी होगी।
12. उक्त भवन को तोड़ने एवं उसके मलवे को ले जाने पर जो भी व्यय होगा उसे बोली छुड़ाने वाले व्यक्ति को स्वयं वहन करना होगा। बोली छुड़ाने वाले व्यक्ति को मलवा ले जाने चुंगी व टैक्स और कोई देय जी0एस0टी0 आदि हो तो उसे स्वयं वहन करना होगा।
13. अधिकतम बोली की स्वीकृति माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन के अधीन होगी तथा जिसे किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।

शर्तों की प्रति ससम्मान माननीय महोदय के समक्ष अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित की जा रही है।

(हरीराम)
सदस्य
सिविल जज (सी0डि0),
मेरठ।

(सुरेश चन्द–द्वितीय)
सदस्य
विशेष न्यायाधीश,
(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), मेरठ

(फूलचन्द पटेल)
अध्यक्ष,
अपर जिला जज,
कोर्ट सं0–01, मेरठ

Approved.
28/7/22